संचिका संख्या – 14/डी0 एल0 ए0 सिवान (संपर्क सड़क) – 05/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पत्र सं0 :– 463 /रा0 सिवान दिनांक :– 13-02-13

चूंकि बिहार सरकार को प्रतीत होता है कि मौजा– कोथुआ सारंगपुर, थाना नं0– 585, थाना– सिवान, परगना– बारा, जिला– सीवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात महादलित बस्ती में जाने हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु राजस्व विभाग, बिहार सरकार के खर्च पर भूमि ली जानी है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा– कोथुआ सारंगपुर, थाना नं0– 585, के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम–बेस 0. 44 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिघोषित खेसरा निम्न प्रकार है :– खेसरा नं0 1388, 1391, 1392, 1393, 1374, 1373, 1372, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1289, 1290, 1291, 1292, 1283, 1284, 1285, 1271, 1144, 1143, 1109, 1110, 1387, 1386, 1385, 1384, 1375, 1376, 1377, 1340, 1343, 1344, 1282, 1277, 1276, 1272, 1102, 1108, 1092 सभी अंश।

अधिघोषित भूमि की चौहद्दी

उत्तर – 1110, 1092 अंश,

दक्षिण – सड़क।

पूरब – 1108, अंश, 1102 अंश, 1273, अंश, 1277, 62, अंश, 1340, अंश, 1385 अंश।

पश्चिम– 1144 अंश, 1271 अंश, 1372 अंश, 1392 अंश, 91 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों या खनिजों के वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाऐगें।

यह अधिघोषणा बिहार भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 6 के उपवंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0
समाहर्त्ता, सरकार के अवर सचिव
सिवान। बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–14/डी0 एल0 ए0 सिवान (संपर्क सड़क) – 05/2013-463/रा॰ दि0– 13-02-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सिवान को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

11/2/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।